भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 743

05.12.2025 को उत्तर के लिए नियत

पीएम ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत ईवी चार्जिंग अवसंरचना

743 **डा. परमार जशवंतसिंह सालमसिंहः**

डा. सुमेर सिंह सोलंकी:

श्रीमती रेखा शर्माः

डा. कविता पाटीदार:

श्री बंशीलाल गुर्जरः

डा. भागवत कराड़:

श्री नारायण कोरागप्पाः

श्री कणाद पुरकायस्थः

डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी:

डा. कल्पना सैनी:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पीएम ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने, संचालित करने और रखरखाव करने के लिए पात्र संस्थाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) योजना के अंतर्गत ईवी चार्जिंग अवसंरचना के लिए प्रस्तावित कुल परिव्यय सहित वित्तीय सहायता और राजसहायता प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना के अंतर्गत महानगरीय शहरों, स्मार्ट शहरों, सैटेलाइट नगरों, राज्य की राजधानियों पर विशेष ध्यान देते हुए ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए शहरों, कस्बों और राजमार्गों के चयन हेतु क्या मानदंड हैं; और

(घ) ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संस्थापना के संबंध में समन्वय एवं अवसंरचना का प्रभावी क्रियान्वयन और रखरखाव सुनिश्चित करने हेतु स्थापित तंत्र और उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन (ईवीपीसीएस) के लिए सब्सिडी फंडिंग पाने और प्रस्ताव जमा करने के लिए पात्र संस्थाएं भारत सरकार के मंत्रालय, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम (सीपीएसई)/ भारत सरकार के मंत्रालयों के तहत स्वायत्त निकाय, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और उनके पीएसयू हैं। ये संस्थाएं मांग इकट्ठा करने और कार्यान्वयन की देखरेख के लिए नोडल एजेंसियां नियुक्त करती हैं।

(ख) पीएम ई-ड्राइव स्कीम का कुल परिव्यय 10,900 करोड़ रुपए है, जिसमें से 2,000 करोड़ रुपए विशेष रूप से पब्लिक ईवी चार्जिंग अवसंरचना (जिसमें ईवी पीसीएस, बैटरी स्वैपिंग स्टेशन और बैटरी चार्जिंग स्टेशन शामिल हैं) बनाने के लिए आवंटित किए गए थे।

यह स्कीम स्थान की श्रेणी के आधार पर अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर और ईवीएसई (चार्जिंग इक्विपमेंट) के लिए पूंजीगत सब्सिडी देती है:

श्रेणी	स्थान	% सब्सिडी
क	राज्य/केंद्र सरकार के स्थान– सरकारी कार्यालय, सरकारी आवासीय कॉम्प्लेक्स, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी शैक्षिक संस्थान, सीपीएसई या कोई अन्य सरकारी प्रतिष्ठान। (ये चार्जर किसी भी निजी व्यक्ति को अपनी ईवी चार्ज करने के लिए बिना किसी रोक-टोक के मिलेंगे, यानी पब्लिक के लिए नि:शुल्क पहुँच)	अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100% और EVSE पर 100%
ख	शहरों में और हाईवे के किनारे ऐसी जगहें जिनका मालिकाना हक राज्य/केंद्र सरकार या उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पास है, जैसे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट (जिन्हें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया चलाती और रखरखाव करती है), सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसी के रिटेल आउटलेट, एसटीयू के बस स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, म्युनिसिपल पार्किंग लॉट, सार्वजनिक क्षेत्र के पोर्ट और एनएचएआई/ राज्य सरकार द्वारा नियंत्रिक/प्रबंधित किए जाने वाले टोल प्लाज़ा और हाईवे/एक्सप्रेसवे पर रास्ते के किनारे की सुविधाएँ।	अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर पर 80% और EVSE पर 70%
ग	अन्य सभी जगहें जो कैटेगरी क और ख में शामिल नहीं हैं, जैसे शहर- सड़कें, शॉपिंग मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स, हाईवे/एक्सप्रेसवे आदि।	अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर पर 80%
घ	कोई भी स्थान जहां पर बैटरी स्वैपिंग स्टेशन (बीएसएस)/बैटरी चार्जिंग स्टेशन (बीसीएस) लगाए गए हैं	अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर पर 80%

अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर और ईवीएसई की लागत, विद्युत मंत्रालय के तहत ब्यूरो ऑफ़ एनर्जी एफिशिएंसी (बीईई) द्वारा दिए गए बेंचमार्क पर आधारित है।

(ग) और (घ) ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए शहरों, कस्बों और हाईवे को चुनने के मानदंडों और ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने और अवसंरचना के अनुरक्षण में तालमेल बिठाने के लिए अपनाए गए तंत्र, उपाय, भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा 26 सितंबर, 2025 को जारी 'पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन (ईवी पीसीएस) लगाने के लिए प्रचालनरत दिशानिर्देश' में दिए गए हैं।

****